

24.08.2012

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री आर बी माथुर, अधिवक्ता याचिकाकर्ता

श्री आर के शर्मा, अधिवक्ता अयाची

याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र पश्चातवर्ती घटनाक्रम के संबंध में कुछ दस्तावेज अभिलेख पर लेने हेतु प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र के साथ संयोजित दस्तावेज को अभिलेख पर लिया जाता है। अयाचीगण, यदि आवश्यक समझे तो वे भी उक्त दस्तावेज के खण्डन में अभिलेख प्रस्तुत कर सकते हैं।

(न्या० मोहम्मद रफीक)

बीएलजैन

All corrections made in the judgement/order have been incorporated in the judgement/order being emailed.

B.L. Jain, PS